बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः- 203941 पटना, दिनांकः- 30.09.2014
ग्रा.वि. अनु.-को - 66/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2015-16 के श्रम बजट के निर्माण हेतु किए जाने वाले IPPE के लिए District Resource Team के प्रशिक्षण संबंध में ।**

प्रसंगः- ग्रामीण विकास मंत्रालय- भारत सरकार के पत्रांक ,G-31011/4/2013-MGNREGA-V दिनांक-21.07.2014

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के श्रम बजट के निर्माण हेतु निर्णय लिया गया है कि अति पिछड़े प्रखंडों का चयन कर Intensive participatory planning exercise (IPPE) की जायेगी जिसमें बिहार के 534 प्रखंडों में से 293 प्रखंडों को शामिल किया जाना है ।

इसके आलोक में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि Intensive participatory planning exercise (IPPE) राज्य के सभी 534 प्रखंडों के सभी पंचायतों में करायी जायेगी । दिनांक 22.09.2014 को इस विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जा चुका है जिसमें जिले के मनरेगा के कार्यान्वयन से जुडें सभी पदाधिकारी एवं कुछ चुने हुए CSO के प्रतिनिधि भाग लिये हैं ।

Intensive participatory planning exercise (IPPE) को सफलता पूर्वक पूर्ण कराने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिसके तहत राज्य स्तर पर गठित State resource team का प्रशिक्षण दिनांक 21.08.2014 से 24.08.2014 तक करा लिया गया है । State resource team द्वारा सभी जिलों में गठित किये जाने वाले District resource team को प्रशिक्षित किया जाना है ।

इस क्रम में विभाग द्वारा District resource team के गठन एवं प्रशिक्षण हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं -

1. सभी जिले प्रत्येक प्रखण्ड के लिये एक District resource team का गठन करेंगे जिनके द्वारा आगे Block planning team सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

District Resource Team में उस जिले के सभी प्रखंड के निम्नलिखित पदाधिकारियों को नामित किया जाएगा -

क्रम0 सं0	पद	विभाग
	2	3
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी	ग्रामीण विकास विभाग
2	कार्यक्रम पदाधिकारी	ग्रामीण विकास विभाग
3	KRP (Key- Resource Person)	शिक्षा विभाग
4	कृषि समन्वयक	कृषि विभाग
5	प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका)	ग्रामीण विकास विभाग
6	कनीय अभियंता	ग्रामीण विकास विभाग

2. दिनांक- **11 से 14** अक्टूबर 2014 को जिला द्वारा गठित District Resource Team का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 5 प्रमण्डलीय मुख्यालयों यथा मुजफ्फरपुर, पटना, गया, पूर्णियाँ एवं भागलपुर में किया गया है । प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने वाले टीमों का चयन, जिला द्वारा किया जायेगा । बाद में इस प्रशिक्षित District Resource Team (DRT) के द्वारा जिले के अन्य प्रखंडों के लिए गठित District Resource Team के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा । प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त दल से संबंधित विवरण निम्मलिखित प्रपत्र में दिनांक- 07.10.2014 तक निश्चित रूप से misrddbihar@gmail.com पर भेज दिया जाय :-

क्रमांक	प्रखंड का नाम	प्रतिभागी का नाम	प्रतिभागी का पद नाम	मोबाइल नंबर

दिनांक- **11 से 14** अक्टूबर 2014 तक प्रमण्डलीय मुख्यालयों में अयोजित होने वाले प्रशिक्षण के लिये चयनित टीमों को नीचे दिये गये सूची के अनुसार जिले निम्न प्रकार से District Resource Team को प्रशिक्षण हेतु भेजेंगे -

प्रशिक्षण	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागी जिला का नाम		राज्य प्रशिक्षक समूह	प्रतिभागी संख्या
ToT – 1	11 से 14 अक्टूबर	मुजफ्फरपुर	प0 चम्पारण	2	राज्य प्रशिक्षक समूह- 1 (16)	106
			पूर्वी चम्पारण	3		
			शिवहर	1		
			सीतामढी	2		
			मधुबनी	3		
			दरभंगा	2		
			मुजफ्फरपुर	2		
ToT – 2	11 से 14 अक्टूबर	पटना	गोपालगंज	2	राज्य प्रशिक्षक समूह- 2 (16)	130
			सिवान	2		
			सारण	3		
			वैशाली	2		
			समस्तीपुर	3		
			पटना	3		
			भोजपुर	2		
			बक्सर	2		
ToT – 3	11 से 14 अक्टूबर	गया	गया	3	राज्य प्रशिक्षक समूह- 3 (16)	112
			रोहतास	2		
			कैमूर	2		
			जहानाबाद	1		
			अरवल	1		
			औरंगाबाद	2		
			नवादा	2		
			नालंदा	3		
ToT – 4	11 से 14 अक्टूबर	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	3	राज्य प्रशिक्षक समूह- 4 (16)	100
			किशनगंज	1		
			सुपौल्	2		
			अररिया	2		
			मधेपुरा	2		
			कटिहार	2		
			सहरसा	2		
ToT – 5	11 से 14 अक्टूबर	भागलपुर	भागलपुर	2	राज्य प्रशिक्षक समूह- 5 (16)	94
			बांका	2		
			जमुई	2		
			मुंगेर	2		
			लखीसराय	1		
			शेखपुरा	1		
			बेगूसराय	2		
			खगड़िया	1		

चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न होगी:

दिवस	प्रशिक्षण स्थल
1	**सभा कक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम**
2	**मॉडल महा-योजना बनाने हेतु चयनित पंचायत एवं उसके सभी वार्ड** **सभा कक्ष**
3	**मॉडल महा-योजना बनाने हेतु चयनित पंचायत एवं उसके सभी वार्ड** **सभा कक्ष**
4	**मॉडल महा-योजना बनाने हेतु चयनित पंचायत एवं उसके सभी वार्ड** **सभा कक्ष**

3. आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण से संबंधित सारी व्यवस्था यथा हॉल, प्रशिक्षणार्थियों के आवासन, भोजन, आदि की व्यवस्था संबंधित जिले द्वारा करायी जायेगी।

प्रशिक्षण स्थलों (सभा कक्ष एवं पंचायत) का चयन संबंधित जिला द्वारा किया जायेगा।

प्रशिक्षण स्थल चयन करने के दौरान यह ध्यान दिया जायेगा की प्रशिक्षण स्थल जिला मुख्यालय से नजदीक हो जहॉ पहुँचना सुगम हो । यदि संभव हो तो, प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने एवं भोजन आदि की व्यवस्था संबंधित प्रखंड में ही करायी जाय ताकि पंचायत में आने जाने में सुविधा हो ।

सभी संबंधित जिला यह सुनिश्चित करेंगे की प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने वाहन के साथ प्रशिक्षण हेतु आयेंगे ताकि उनके वाहन का उपयोग अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण स्थल पर लाने एवं ले जाने हेतु किया जा सके।

संबंधित 5 प्रशिक्षण स्थल के चयन से संबंधित विवरणी दिनांक- 07.10.2014 तक विहित प्रपत्र में सभी जिलों के द्वारा विभाग को भेजा जायेगा ।

क्रमांक	चयनित पंचायत का नाम	प्रखंड का नाम	आवास स्थल से दूरी km में	आवास स्थल का पता	चयनित नोडल ऑफिसर मुख्यालय का) PO) का नाम	चयनित नोडल ऑफिसर मुख्यालय का) PO) का मोबाइल नंबर
1	2	3	4	5	6	7

4. भारत सरकार के द्वारा इस प्रशिक्षण पर प्रति प्रशिक्षणार्थी 325/- रूपये प्रति दिन व्यय करने का बजट तय किया गया है । प्रति पंचायत प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु उपयोग में आने वाले Stationary पर प्रति पंचायत व्यय 32500/- रूपया का निर्धारित किया गया है । प्रशिक्षण हेतु यथा सभंव

प्रखंड स्तर पर सभागार या अन्य सरकारी भवनों (उपलब्ध होने पर) का प्रयोग किया जाय । जिला स्तर पर जिलासभागार का भी उपयोग इस प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है ।

5. सम्बंधित जिले के उप विकास आयुक्त प्रशिक्षण हेतु निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे:

1. सम्बंधित पंचायत के मुखिया, सभी वार्ड सदस्य एवं सभी ग्राम वासियों को यह सूचित करेंगे की उनकी पंचायत को IPPE के क्रियान्वयन हेतु चुना गया है
2. सम्बंधित PRS, PTA, विकास मित्र, साक्षर भारत प्रेरक, टोला सेवक, कृषि सलाहकार एवं जीविका मित्र को यह कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे
3. A3 scanner – cum – printer की व्यवस्था DRDA में करेंगे
4. प्रशिक्षण हेतु चयन किये गए पंचायत के सम्बंधित राजस्व ग्राम का नजरी नक्शा को उपलब्ध करवाना सुनिचित करेंगे एवं सम्बंधित कर्मचारी को भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहने हेतु निदेशित करेंगे
5. प्रशिक्षण हेतु चयन किये गए पंचायत का SECC एवं मनरेगा सम्बंधित सम्पूर्ण डाटा भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे

उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु संबंधित 5 जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगें साथ ही जिला मुख्यालय में कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी को उनके द्वारा समन्वयक के रूप में नामित किया जायेग ।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत प्रशिक्षित DRT अन्य प्रखंडों के लिए गठित DRT का प्रशिक्षण दिनांक- ~~14.10.2014~~ 15.10.2014 से 22.10.2014 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करायेंगे ।

जिला का नाम	दिनांक- 15 से 22 अक्टूबर के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित DRT के सदस्यों के संख्या	State Resource Team	कुल
प0 चम्पारण	12	2	14
पूर्वी चम्पारण	18	3	21
शिवहर	6	1	7
सीतामढ़ी	12	2	14
मधुबनी	18	3	21
सुपौल	12	2	14
अररिया	12	2	14
किशनगंज	6	1	7
पूर्णियाँ	18	3	21
कटिहार	12	2	14
मधेपुरा	12	2	14
सहरसा	12	2	14
दरभंगा	12	2	14
मजुफ्फरपुर	12	2	14
गोपालगंज	12	2	14
सिवान	12	2	14
सारण	18	3	21
वैशाली	12	2	14

जिला का नाम	दिनांक- 15 से 22 अक्टूबर के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षित DRT के सदस्यों के संख्या	State Resource Team	कुल
भागलपुर	12	2	14
बांका	12	2	14
मुंगेर	12	2	14
लखीसराय	6	1	7
शेखपुरा	6	1	7
नालंदा	18	3	21
पटना	18	3	21
भोजपुर	12	2	14
बक्सर	12	2	14
भभुआ	12	2	14
रोहतास	12	2	14
जहानाबाद	6	1	7
औरंगाबाद	12	2	14
गया	18	3	21
नवादा	12	2	14
जमुई	12	2	14
अरवल	6	1	7

6. जिला स्तर पर Intensive participatory planning exercise से संबंधित सभी क्रिया कलापों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा किया जायेगा । राज्य स्तर पर इस कार्य का अनुश्रवण जीविका के द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक सप्ताह इसका प्रतिवेदन विभाग को दिया जायेगा ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार सभी जिले अपने-अपने प्रखंडों के लिए District Resource Team का चयन कर लेंगे, उपर्युक्त सभी 5 जिले जहाँ State Resource Team के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा, प्रशिक्षण स्थल का चयन एवं अन्य संबंधित सभी व्यवस्थाएँ पूर्ण करेंगे एवं इसी दौरान Block Planning Team का भी गठन करेंगे ताकि प्रशिक्षण के उपरांत Intensive participatory planning exercise (IPPE) सभी प्रखंडों में संपन्न कराया जा सके जिससे निर्धारित अवधि में वित्तीय वर्ष 2015-16 का श्रम बजट का निर्माण कराया जा सके ।

7. विभाग स्तर पर एक टीम का गठन किया गया है जो IPPE से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान करेंगे । सदस्यों के नाम तथा मोबाईल नं0 निम्न हैं-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	मो0 नं0
1.	श्री अभ्येन्द्र मोहन सिंह	विशेष कार्य पदाकारी	9431818344
2.	श्री सुभेन्द्र सान्याल	UNDP consultant	9430280583
3.	श्री चिन्तन राज	PMRDF	9162172220
4.	श्री राजेन्द्र पाठक	कार्यक्रम पदाधिकारी	8986913382

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सचिव
30/9/14

ज्ञापांक:- 203941 पटना, दिनांक:- 30.09.2014

प्रतिलिपि- सभी उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 30/9/14

ज्ञापांक:- 203941 पटना, दिनांक:- 30.09.2014

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हहेतु प्रेषित ।

सचिव 30/9/14

ज्ञापांक:- 203941 पटना, दिनांक:- 30.09.2014

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 30/9/14

ज्ञापांक:- 203941 पटना, दिनांक:- 30.09.2014

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव 30/9/14